

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. महेश कुमार 2. प्रेमकुमार पि. प्रहलादराम 3. भरत 4. धनश्याम 5. हसमुख पि. किरण कुमार 6. चन्द्रिका पुत्री किरण कुमार 7. सीमा पत्नि किरण कुमार 8. शान्ति पुत्री प्रहलादाराम 9. भावेश 10. अविनाश 11. आकाश पि. लक्ष्मणदास जाति गवारिया निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर	1. लक्ष्मीदेवी पत्नि रतनलाल जाति सोनी 2. अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ओसवाल 3. रूखमणाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट 4. नोकमराम पुत्र सरूपाराम 5. रिखबा पुत्र रिड़मल 6. गोपाराम पुत्र जेठाराम 7. मुकनाराम पुत्र आम्बाराम जातियान भेघवाल निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने
 नेखमबंदी बाबत।**

राजस्व आवेदन 61/2025

दिनांक 24.04.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन मौजा चौहटन के खेत खसरा सं. 1165/642, 1167/642 रकबा कमशः 18.10, 35.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।
 प्रार्थी कमिश्नर को कमिशनर फीस रूपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/518 to 21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, चौहटन
2. प्रार्थी महेश कुमार पुत्र प्रहलादराम व अन्य।
3. विप्रार्थीगण लक्ष्मीदेवी पत्नि रतनलाल व अन्य।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धोरीमना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
 चौहटन

दिनांक
 24/04/25



(कुसुमलता चौहान)
 उपखण्ड अधिकारी
 चौहटन
 उपखण्ड अधिकारी
 चौहटन